पत्र सं०-5/पी०(के०यो०)-81/2023- 31(6)क /स्वा०,

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,
अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
सभी उप विकास आयुक्त–सह–कार्यपालक पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 25-11-2025

विषयः 15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विमुक्त राशि के आलोक में राज्य के भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना (Building-less Sub-Centers, PHCs & BPHUs for the year 2024-25) हेतु कुल 3,54,01,71,000/– (तीन अरब चौवन करोड़ एक लाख एकहत्तर हजार) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–25(6)ब, दिनांक–19.11.2025 एवं 15 वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विमुक्त राशि के आलोक में राज्य के भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना (Building-less Sub-Centers, PHCs & BPHUs for the year 2024-25) हेतु कुल 3,54,01,71,000/– (तीन अरब चौवन करोड़ एक लाख एकहत्तर हजार) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्त्तें यथावत रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार के पत्रांक–15(2) FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक–16.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26) के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वशासी निकाय के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्गत संचालन दिशा–निर्देश (Operational Guideline) के अनुरुप कार्रवाई की जाएगी।

इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची (संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार) होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

4. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा निकासी की गयी राशि को इस प्रयोजन हेतु संधारित बैंक खाता में जमा करेंगे, जिसके संचालन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–104(5) दिनांक 14.02.2022 के द्वारा वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Bank Account से राशि की निकासी/भुगतान/हस्तांतरण PFMS के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

5. इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. राशि की निकासी करने वाले प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, जिसके आधार पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग तथा शहरी विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

7. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्वास्थ्य संरचनाओं के नए निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित जिला परिषद के माध्यम से आई०पी०एच०एस० मानकों के अनुसार अनुमोदित प्राक्कलन में वर्णित प्राक्कलित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप यथा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

इस क्रम में संबंधित जिला परिषद के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत की गयी योजना का कार्यान्वयन किसी अन्य योजना से नहीं किया जा रहा है ताकि योजना के दोहरीकरण की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।

8. 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत तकनीकी एवं संचालन दिशा निर्देशों (Technical and Operational Guidlines of XV-FC Health Grant) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. आवंटित राशि का व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से किया जाएगाः–

| क्र० | बजट शीर्ष | आवंटित राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–89–15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी –2210–01–110–89–01–06–79) | **2039871000/–** |
| 2 | 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–89–15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी –2210–01–789–89–01–06–79) | **481550000/–** |
| 3 | 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–89– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी –2210–01–796–89–01–06–79) | **1018750000/–** |
| | कुल योग | **3540171000/–** |

10. योजनाओं का क्रियान्वयन कराते समय उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उच्चतम मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन/उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए संबंधित पदाधिकारी/तकनीकी पदाधिकारी एवं अभिकर्त्ता भी सामान रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. आवंटित अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/वि० दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात विपत्र कोषागार में कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

31(6) व
25.11.2025

| | | |
|---|---|---|
| (ध्रुव प्रसाद)<br>उप सचिव | (विद्यानंद शर्मा पंकज)<br>अपर सचिव | (अजय कुमार सिंह)<br>अपर मुख्य सचिव |

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जांच पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 31(6)क रांची, दिनांकः–25-11-2025

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग,झारखण्ड, राँची।
5. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड, राँची ।
6. सी०ई०ओ०–सह–निदेशक, राँची स्मार्ट सिटी निगम, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।
8. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची।
9. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची।
10. राज्य आर०सी०एच0 पदाधिकारी, नामकुम, राँची।
11. सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड।
12. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
13. सभी सिविल सर्जन,झारखण्ड।
14. प्रभारी पदाधिकारी,पी०एम०यू० कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

| | | |
|---|---|---|
| (ध्रुव प्रसाद) | (विद्यानंद शर्मा पंकज) | (अजय कुमार सिंह) |
| उप सचिव | अपर सचिव | अपर मुख्य सचिव |

# परिशिष्ट– 1

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान के अधीन विमुक्त राशि से राज्य के भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना (**Building-less Sub-Centers, PHCs & BPHUs for the year 2024-25**) के स्थापना हेतु आवंटित राशि की विवरणी–

राशि रुपए में।

| क्र० | जिला / संस्थान का नाम | आवंटित राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | बजट शीर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बोकारो | 10550000 | संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त | 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–89–15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–01–15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी 2210–01–110–89–01–06–79) |
| 2. | चतरा | 102550000 | | |
| 3. | धनबाद | 685300000 | | |
| 4. | हजारीबाग | 153050000 | | |
| 5. | जामताड़ा | 90500000 | | |
| 6. | कोडरमा | 73000000 | | |
| 7. | लातेहार | 105750000 | | |
| 8. | लोहरदगा | 76900000 | | |
| 9. | गिरिडीह | 534500000 | | |
| 10. | साहेबगंज | 136400000 | | |
| 11. | सरायकेला–खरसावाँ | 27750000 | | |
| 12. | सिमडेगा | 41500000 | | |
| 13. | **JMHIDPCL, Ranchi** | 2121000 | निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची | |
| | योग (A) | **2039871000** | | |
| 14. | देवघर | 103100000 | संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त | 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 89– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान– 01– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान– 06– अनुदान– 79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी– 2210–01–789–89–01–06–79) |
| 15. | गढ़वा | 77700000 | | |
| 16. | पलामू | 114400000 | | |
| 17. | गोड्डा | 77700000 | | |
| 18. | रामगढ़ | 108650000 | | |
| | योग (B) | **481550000** | | |
| 19. | पूर्वी सिंहभूम | 230950000 | संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त | 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– 89– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान– 01– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान– 06– अनुदान– 79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी– 2210–01–796–89–01–06–79) |
| 20. | दुमका | 131700000 | | |
| 21. | गुमला | 263600000 | | |
| 22. | खूँटी | 47900000 | | |
| 23. | राँची | 215900000 | | |
| 24. | पश्चिमी सिंहभूम | 128700000 | | |
| | योग (C) | **1018750000** | | |
| | कुल योग (A+B+C):– | **3540171000** | | |

कुल– 3,54,01,71,000 / – (तीन अरब चौवन करोड़ एक लाख एकहत्तर हजार) मात्र।

31(6) व
25-11-2025

| (ध्रुव प्रसाद) उप सचिव | (विद्यानंद शर्मा पंकज) अपर सचिव | (अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव |
|---|---|---|

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2025-26 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

**पत्र संख्या -** 5/P-CeS-81/2023/31(6)B **दिनांक -** 27-Nov-2025

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74753 | BKRORD001<br>SATABDI MAZUMDER<br>D.D.C. CUM C.E.O.Z.P<br>BOKARO<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 10,550,000.00<br>रुपये एक करोड पॉच लाख पचास हजार |
| 2 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74754 | CTROTH002<br>AMARENDRA KUMAR SINHA<br>D.D.C,CUM.SECT.Z.P,<br>CHATRA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 102,550,000.00<br>रुपये दस करोड पच्चीस लाख पचास हजार |
| 3 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74755 | DHNORD001<br>SADAT ANWAR<br>D D C DHANBAD<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 685,300,000.00<br>रुपये अडसठ करोड तीरपन लाख |

योग: रुपये उन्नासी करोड चौरासी लाख 798,400,000.00

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74756 | HZBORD034<br>ISHTEYAQUE AHMED<br>D D C HZB<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 153,050,000.00<br>रुपये पंद्रह करोड तीस लाख पचास हजार |
| 5 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74757 | JMTDAD013<br>NIRANJAN KUMAR<br>D.D.C.JAMTARA.<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 90,500,000.00<br>रुपये नौ करोड पॉच लाख |
| 6 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74759 | KDMPWK003<br>RAVI JAIN<br>DDC-CUM-CEO,DB,KODERMA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 73,000,000.00<br>रुपये सात करोड तीस लाख |

योग: 316,550,000.00

रुपये एक अरब ग्यारह करोड उनचास लाख पचास हजार

क्रमिक योग: 1,114,950,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

**पत्र संख्या -** 5/P-CeS-81/2023/31(6)B **दिनांक -** 27-Nov-2025

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74761 | LTRDAD003<br>RIYAJ AHEMAD SAYYAD<br>D.D.C. LATEHAR<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 105,750,000.00<br>रुपये दस करोड सत्तावन लाख पचास हजार |
| 8 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74763 | LDGDAD019<br>DILIP PRATAP SINGH SHEKHAWAT<br>DDC CUM CEO<br>Z.P.LOHARDAGA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 76,900,000.00<br>रुपये सात करोड उनहत्तर लाख |
| 9 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74764 | GRDDAD029<br>SMRITA KUMARI<br>SECT. DIST. BOARD<br>GIRIDIH<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 534,500,000.00<br>रुपये तीरपन करोड पैंतालीस लाख |

योग: रुपये एक अरब तिरयासी करोड इक्कीस लाख 717,150,000.00

क्रमिक योग: 1,832,100,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74767 | SBJDAD022<br>SATISH CHANDRA<br>DDC SAHIBGANJ<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 136,400,000.00<br>रुपये तेरह करोड चौसठ लाख |
| 11 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74768 | SKLZPS001<br>REENA HANSDAK<br>SEC. Z. P. SKL-KHAR<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 27,750,000.00<br>रुपये दो करोड सित्योत्तर लाख पचास हजार |
| 12 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74769 | SDGDAD021<br>DIPANKAR CHOUDHARY<br>D.D.C SIMDEGA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 41,500,000.00<br>रुपये चार करोड पंद्रह लाख |

योग: रुपये दो अरब तीन करोड सित्योत्तर लाख पचास हजार 205,650,000.00

क्रमिक योग: 2,037,750,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र संख्या - 5/P-CeS-81/2023/31(6)B दिनांक - 27-Nov-2025

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 | C 20 22100111089010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74770 | DRNMED124<br>DR.SIDDHARTHA SANYAL<br>DI.IN.CHIEF<br>H.DIRT.JHAR.RANCHI<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 2,121,000.00<br>रुपये इक्कीस लाख इक्कीस हजार |
| 14 | C 20 22100178989010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74771 | DGRORDE98<br>PIYUSH SINHA<br>DDC, DEOGHAR<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 103,100,000.00<br>रुपये दस करोड इकतीस लाख |
| 15 | C 20 22100178989010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74772 | GRHOAS003<br>PASHUPATI NATH MISHRA<br>CHEIF EXE.OFF.<br>DIST.BOARD GARH<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 77,700,000.00<br>रुपये सात करोड सित्योत्तर लाख |

योग: रुपये दो अरब बाइस करोड छः लाख इकहत्तर हजार 182,921,000.00

क्रमिक योग: 2,220,671,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र संख्या - 5/P-CeS-81/2023/31(6)B दिनांक - 27-Nov-2025

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 16 | C 20 22100178989010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74773 | PLMDAD012<br>MD. JAWED HUSSAIN<br>D.D.C.PALAMU<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 114,400,000.00<br>रुपये ग्यारह करोड चवालीस लाख |
| 17 | C 20 22100178989010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74774 | GDDDAD004<br>DEEPAK KUMAR DUBEY<br>D.D.C, GODDA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 77,700,000.00<br>रुपये सात करोड सित्योत्तर लाख |
| 18 | C 20 22100178989010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74775 | RGHORD035<br>AASHISH AGARWAL<br>DDC CUM SEC. ZILA PARISAD<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 108,650,000.00<br>रुपये दस करोड छियासी लाख पचास हजार |

योग: 300,750,000.00

रुपये दो अरब बावन करोड चौदह लाख इक्कीस हजार

क्रमिक योग: 2,521,421,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

**पत्र संख्या -** 5/P-CeS-81/2023/31(6)B **दिनांक -** 27-Nov-2025

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 19 | C 20 22100179689010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74776 | JSRDAD037<br>NAGENDRA PASWAN<br>SEC.ZILA PARISHAD JSR.<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 230,950,000.00<br>रुपये तेइस करोड नौ लाख पचास हजार |
| 20 | C 20 22100179689010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74777 | DMKDAD107<br>ANIKET VINAY SACHAN<br>D.D.C.DUMKA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 131,700,000.00<br>रुपये तेरह करोड स त्र ह लाख |
| 21 | C 20 22100179689010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74778 | GMLDAD007<br>DILESHWAR MAHTO<br>SEC.ZILA PARISHAD GUMLA<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 263,600,000.00<br>रुपये छब्बीस करोड छत्तीस लाख |

योग: 626,250,000.00

रुपये तीन अरब चौदह करोड छहत्तर लाख इकहत्तर हजार

क्रमिक योग: 3,147,671,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 22 | C 20 22100179689010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74779 | RNCOTH005<br>SAURABH KUMAR BHUWANIA<br>DDC-CUM-CEO<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 215,900,000.00<br>रुपये इक्कीस करोड उनसठ लाख |
| 23 | C 20 22100179689010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74780 | SGHDAD016<br>SANDEEP KUMAR MEENA<br>SEC.DIST.B.Z.P.CBSA (DDC)<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 128,700,000.00<br>रुपये बारह करोड सित्यासी लाख |
| 24 | C 20 22100179689010679<br>2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान<br>06 - अनुदान<br>**Centeral Scheme**<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933) | 74781 | KHNDADK26<br>ALOK KUMAR<br>DDC-CUM-CEO ZLA PARISHD KHUNTI<br>79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) | 47,900,000.00<br>रुपये चार करोड उन्नासी लाख |

योग: 392,500,000.00

रुपये तीन अरब चौपन करोड एक लाख इकहत्तर हजार

क्रमिक योग: 3,540,171,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

**वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

| Sl No | TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 20C2210011089010679 | 20C2210017898901679 | 20C2210017968901679 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सहायता अनुदान सामान्य ;गैर. वेतनद्ध | सहायता अनुदान सामान्य ;गैर. वेतनद्ध | सहायता अनुदान सामान्य ;गैर. वेतनद्ध | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bokaro | BKRORD001 | Satabdi Mazumder | D.D.C. Cum C.E.O.Z.P. Bokaro | ₹1,05,50,000.00 (74753) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹1,05,50,000.00 |
| 2 | Chatra | CTROTH002 | Amarendra Kumar Sinha | D.D.C,Cum.Sect.Z.P,Chatra | ₹10,25,50,000.00 (74754) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10,25,50,000.00 |
| 3 | Dhanbad | DHNORD001 | Sadat Anwar | D D C Dhanbad | ₹68,53,00,000.00 (74755) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹68,53,00,000.00 |
| 4 | Hazaribagh | HZBORD034 | Ishteyaque Ahmed | D D C Hzb | ₹15,30,50,000.00 (74756) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹15,30,50,000.00 |
| 5 | Jamtara | JMTDAD013 | Niranjan Kumar | D.D.C.Jamtara. | ₹9,05,00,000.00 (74757) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹9,05,00,000.00 |
| 6 | Koderma | KDMPWK003 | Ravi Jain | Ddc-Cum-Ceo,Db,Koderma | ₹7,30,00,000.00 (74759) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹7,30,00,000.00 |
| 7 | Latehar | LTRDAD003 | Riyaj Ahemad Sayyad | D.D.C. Latehar | ₹10,57,50,000.00 (74761) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10,57,50,000.00 |
| 8 | Lohardaga | LDGDAD019 | Dilip Pratap Singh Shekhawat | Ddc Cum Ceo Z.P.Lohardaga | ₹7,69,00,000.00 (74763) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹7,69,00,000.00 |
| 9 | Giridih | GRDDAD029 | Smrita Kumari | Sect. Dist. Board Giridih | ₹53,45,00,000.00 (74764) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹53,45,00,000.00 |
| 10 | Sahebganj | SBJDAD022 | Satish Chandra | Ddc Sahibganj | ₹13,64,00,000.00 (74767) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹13,64,00,000.00 |
| 11 | Saraikela | SKLZPS001 | Reena Hansdak | Sec. Z. P. Skl-Khar. | ₹2,77,50,000.00 (74768) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹2,77,50,000.00 |
| 12 | Simdega | SDGDAD021 | Dipankar Choudhary | D.D.C Simdega | ₹4,15,00,000.00 (74769) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹4,15,00,000.00 |
| 13 | Doranda | DRNMED124 | Dr.Siddhartha Sanyal | Di.In.Chief H.Dirt.Jhar.Ranchi | ₹21,21,000.00 (74770) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹21,21,000.00 |
| 14 | Deoghar | DGRORDE98 | Piyush Sinha | Ddc, Deoghar | ₹0.00 | ₹10,31,00,000.00 (74771) | ₹0.00 | ₹10,31,00,000.00 |
| 15 | Garhwa | GRHOAS003 | Pashupati Nath Mishra | Cheif Exe.Off. Dist.Board Garh | ₹0.00 | ₹7,77,00,000.00 (74772) | ₹0.00 | ₹7,77,00,000.00 |
| 16 | Palamu | PLMDAD012 | Md. Jawed Hussain | D.D.C.Palamu | ₹0.00 | ₹11,44,00,000.00 (74773) | ₹0.00 | ₹11,44,00,000.00 |
| 17 | Godda | GDDDAD004 | Deepak Kumar Dubey | D.D.C, Godda | ₹0.00 | ₹7,77,00,000.00 (74774) | ₹0.00 | ₹7,77,00,000.00 |
| 18 | Ramgarh | RGHORD035 | Aashish Agarwal | Ddc Cum Sec. Zila Parisad | ₹0.00 | ₹10,86,50,000.00 (74775) | ₹0.00 | ₹10,86,50,000.00 |
| 19 | Jamshedpur | JSRDAD037 | Nagendra Paswan | Sec.Zila Parishad Jsr. | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹23,09,50,000.00 (74776) | ₹23,09,50,000.00 |
| 20 | Dumka | DMKDAD107 | Aniket Vinay Sachan | D.D.C.Dumka | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹13,17,00,000.00 (74777) | ₹13,17,00,000.00 |
| 21 | Gumla | GMLDAD007 | Dileshwar Mahto | Sec.Zila Parishad Gumla | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹26,36,00,000.00 (74778) | ₹26,36,00,000.00 |
| 22 | Ranchi | RNCOTH005 | Saurabh Kumar Bhuwania | Ddc-Cum-Ceo | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹21,59,00,000.00 (74779) | ₹21,59,00,000.00 |
| 23 | Singhbhum West | SGHDAD016 | Sandeep Kumar Meena | Sec.Dist.B.Z.P.Cbsa (Ddc) | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹12,87,00,000.00 (74780) | ₹12,87,00,000.00 |
| 24 | Khunti | KHNDADK26 | Alok Kumar | Ddc-Cum-Ceo Zla Parishd Khunti | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹4,79,00,000.00 (74781) | ₹4,79,00,000.00 |
| | | | | | | | | |

**कुल आवंटित राशि :- ₹3,54,01,71,000.00** ( तीन अरब चौपन करोड एक लाख इकहत्तर हजार ) **रूपये मात्र।**

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए**

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY